an>

Title: Need to take suitable steps for release of allocated share of waters of Ravi and Beas rivers to Rajasthan.

श्री राहुल कस्वां (चुरू) : दिनांक 31.12.1981 को पंजाब, हरियाणा तथा राजस्थान के मुख्यमंत्रियों के मध्य रावी-व्यास नदियों के आधिक्य जल के बंटवारे के बारे में एक समझौता हुआ था। इस समझौते के अनुसार राजस्थान राज्य का हिस्सा 8.60 एम.ए.एफ. निर्धारित किया गया था, लेकिन राजस्थान को अभी तक उक्त समझौते के मुताबिक पूरा पानी नहीं मिल रहा है। इन्दिरा गांधी नहर प्रणाली के तीव्र विकास के कारण राजस्थान पिछले कई वÂ०ा०ों से अपने संपूर्ण हिस्से के पानी को उपयोग करने की स्थिति में है, इसके बावजूद भाखड़ा-व्यास प्रबंधन मण्डल राजस्थान को 8.00 एम.ए.एफ जल ही आवंटन कर रहा है। राजस्थान ने अपने हिस्से के शेÂ० 0.6 एम.ए.एफ. जल को देने के लिए केन्द्र, पंजाब सरकार तथा भाखड़ा व्यास प्रबंधन मण्डल को कई बार प्रतिवेदन दिए हैं, लेकिन पंजाब सरकार द्वारा राजस्थान को उनके हिस्से का पूर्ण पानी नहीं दिया जा रहा है। पंजाब विधान सभा द्वारा पंजाब समझौता समाप्ति अधिनियम, 2004 पारित कर रावी-व्यास जल से संबंधित सभी समझौतों को रद्द कर दिया गया है जिसमें 31.12.1981 को सम्पादित समझौता व रावी-व्यास जल से संबंधित सभी समझौते शामिल हैं। भारत सरकार द्वारा इसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय में प्रेसीडेन्शियल रेफरेन्स द्वारा पंजाब समझौता समाप्ति अधिनियम, 2004 की संवैधानिक वैधता के परीक्षण हेतु भिजवाया है तथा राजस्थान सरकार ने भारत सरकार से आग्रह किया है कि उक्त रेफरेन्स की एक विशेÂ० पीठ का गठन किया जावे। मेरी सरकार से मांग है कि भारत सरकार पंजाब सरकार/भाखड़ा व्यास प्रबंधन मंडल को राजस्थान के शेÂ० 0.6 एम.ए.एफ. पानी दिए जाने संबंधी आवश्यक निर्देश जारी करें तथा साथ ही रावी-व्यास जल पर प्रेसीडेंशियल रेफरेंस पर शीघ्र निर्णय हेतु एक विशेÂ० पीठ गठित करने के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय को निवेदन करें।